

प्रेषक,

शिव प्रकाश गुप्त  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र  
प्रति बिहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 7 अनुमान

लखनऊ: दिनांक: 12 मई, 2005

विषय- बुडबाइन फ्लोरेट पब्लिक स्कूल अनुपशहर रोड, अलीगढ़ की सी०पी०  
एत०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने  
का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को नई दिल्ली से संबद्धता हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों  
के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1] विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ?
- 2] विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3] विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद/बैतिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4] संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय मा०शि०परिषद अथवा बैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशिल्य फर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्वाइवलेन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।
- 5] संस्था के शैक्षिक एवं शि्षोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य शर्तें नहीं दिये जायेंगे ।
- 6] कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- 17] राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18] विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19] उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिचर्जन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होना होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

शिव प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव।

पुस्तक एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
2. मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ ।
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०लखनऊ ।
5. प्रबंधक, लुड बाइन फ्लोरेट पब्लिक स्कूल, अन्पशाहर रोड, अलीगढ़ ।
6. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव।